म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26—अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कमांक / बोर्ड / समन्वय / विविध / 2019—20 / 1008 भोपाल,दिनांक : 09 / 05 / 2019

प्रति,

संयुक्त / उप संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय..............................(समस्त)

विषयः—वित्तीय वर्ष 2019—20 में वार्षिक कार्ययोजना बनाये जाने बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मासिक समीक्षा बैठक में हुई चर्चा अनुसार वर्ष 2019—20 की वार्षिक कार्ययोजना निम्नानुसार विषयों पर तैयार की जाना है, जिसमें संबंधित आंचलिक अधिकारी द्वारा मंडी सचिवों से चर्चा कर इस वर्ष की कार्ययोजना तैयार करने हेतु विषय तथा लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :—

1— मंडियों में नियमन लागू कराना :— जिन मंडियों में अभी तक नियमन लागू नहीं है, उन मंडियों में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप (एक सप्ताह में निर्धारित दिवस) से नियमन व्यवस्था लागू की जाना है।

2— बंद मंडी / उपमंडी को कियाशील करना :— संभाग अन्तर्गत वर्तमान में बंद पड़ी मंडियों / उपमंडियों को कियाशील किये जाने के संबंध में मंडी सचिवों से चर्चा कर लक्ष्य निर्धारित किये जायें, जिसमें मंडी / उपमंडी चालू करने की समय—सीमा निर्धारित हो।

3— आय एवं आवकः— मंडियों में विगत तीन वर्षों में हुई आय एवं आवक के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करें, जिसमें पिछले वर्ष की आवक से कम—से—कम 15 से 20 प्रतिशत एवं आय में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया जाये।

4— फल सब्जी मंडियों को चालू करना :— घोषित फल सब्जी मंडियों में से बंद पड़ी मंडी को चालू करने के संबंध में वार्षिक कार्ययोजना के लक्ष्य निर्धारित किये जायें।

5— फल सब्जी की आवक :— प्रदेश की मंडियों में फल सब्जी की आवक में निरन्तर वृद्धि हो रही है, इस बावत् भी कियाशील मंडियों को पिछले वर्षों के अनुपात में लक्ष्य निर्धारित कर फल सब्जी की आवक में और वृद्धि के प्रयास किये जायें।

6— संपदा प्रबंधन :—

(1) खाली संरचनाओं / प्लाटों के आवंटन बावत् :— इस वित्तीय वर्ष में वर्तमान में खाली पड़ी संरचनाओं / प्लाटों में लगभग 50 प्रतिशत संरचनाओं / प्लाटों को आवंटन का लक्ष्य निर्धारित किया जाये।

(2) मंडियों में अतिक्रमण को हटाने के लिए माह जून–जुलाई 2019 में अभियान चलाकर 50 प्रतिशत अतिक्रमण हटाया जाये।

(3) शासकीय विभाग, एजेंसी को दी गयी संपत्ति की किराया वसूली :– शासकीय विभाग, एजेंसी को जो संपत्तियॉ पूर्व में आवंटित हैं, उनकी लीज़ नवीनीकरण तथा किराया निर्धारण के विस्तृत निर्देश पूर्व में दिये जा चुके हैं। इस संबंध में शतप्रतिशत किराया एवं लीज़ नवीनीकरण की कार्यवाही करी जाये तथा बकाया किराये की वसूली सुनिश्चित की जाये।

7– जिला विपणन कार्ययोजना :– जिला विपणन कार्ययोजना अधिकांश जिलों द्वारा तैयार की जा चुकी है। जो जिले शेष रह गये हैं उक्त कार्ययोजना तैयार कर जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाकर 15 जून तक प्रेषित करें।

8– तौलकांटा :– जिन मंडियों में बड़े तौलकांटे अब तक संचालित नहीं है, उनमें शेष रह गयी मंडियों में से लगभग 50 प्रतिशत मंडियों में बड़े तौलकांटे स्थापित करवाये जावें।

9– ई–अनुज्ञा :– ई–अनुज्ञा की प्रकिया को ऐच्छिक रखा गया है। मंडी सचिवों का दायित्व है कि जो व्यापारी इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए इच्छुक हैं, उनकी सहायता कर अधिक–से–अधिक व्यापारियों को ई–अनुज्ञा प्रणाली से जोड़ें। इसके लिए निम्न लक्ष्य दिये जाते हैं :–

क्रियाशील व्यापारियों में से 25 प्रतिशत व्यापारी माह अगस्त अंत तक तथा 50 प्रतिशत व्यापारियों को दिसम्बर अंत तक उक्त प्रणाली से जोड़ने का कार्य करें।

10– कृषक विश्रामगृह :– लगभग सभी मंडियों में कृषक विश्रामगृह निर्मित हो चुके हैं और उनके संचालन के संबंध में नीति–निर्देश दिये गये हैं। पूरे संभागों में कम–से–कम 50 प्रतिशत विश्रामगृहों को उक्त नवीन निर्देशों के अंतर्गत संचालनकर्ता का चयन कर सौंपने की कार्यवाही की जाये।

11– केन्टीन संचालक :– इस संबंध में मुख्यालय स्तर पर से नवीन निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इन निर्देशों को लागू कर अगस्त अंत तक मंडियों में संचालनकर्ता की व्यवस्था उक्त निर्देशों के अंतर्गत पूर्ण कर ली जावे।

12– हम्माल–तुलावटियों के स्वास्थ्य परीक्षण बावत् :– मंडियों में कार्यरत् हम्माल–तुलावटियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए केम्प आयोजित किये जाने हैं, जिसके विस्तृत निर्देश मुख्यालय से शीघ्र जारी किये जा रहे हैं। माह जून–जुलाई में प्रत्येक मंडी समिति में उक्त केम्प आयोजित करवाया जाये।

13— एग्मार्कनेट पोर्टल पर रिपोर्टिंग के संबंध में :— एग्मार्कनेट पोर्टल पर कम—से—कम 75 प्रतिशत मंडियों को 25 दिन से अधिक तथा 90 प्रतिशत मंडियों को 10 दिन से अधिक की दैनिक रिपोर्ट माह जून से दर्ज करवाने की व्यवस्था की जावे।

14— मंडियों में टैली एकाउटिंग व्यवस्था लागू करने बावत् :— मंडियों में वर्तमान में टैली का उपयोग बहुत कम किया जा रहा है। इस संबंध में निम्न लक्ष्य निर्धारित रहेंगे :—

15 जुलाई, 2019 तक शतप्रतिशत प्रशिक्षण प्रत्येक मंडी में और जुलाई अंत तक टैली पर लेखा संधारण कार्य शुरू किया जाये।

15— मंडियों में वृक्षारोपण :— इस वर्ष मंडियों में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाना है। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री को पूर्व से ही निर्देशित किया गया है कि मंडीवार उपलब्ध स्थान के आधार पर वृक्षारोपण के लक्ष्य निर्धारित कर लिये जावें।

16— मंडियों में बैंक शाखा/एटीएम स्थापना के संबंध में :— लगभग 50 प्रतिशत मंडियों में कम—से—कम एक बैंक शाखा तथा एटीएम स्थापित करने के लक्ष्य निर्धारित किये जायें।

17— मंडियों में उद्घोषणा (पीए सिस्टम) स्थापित करने बावत् :— आगामी तीन माह (अगस्त अंत तक) शतप्रतिशत मंडियों में उद्घोषणा के लिए पीए सिस्टम लगवाये जावें।

18— स्वान कनेक्टेविटि :— शतप्रतिशत मंडियों में माह मई अंत तक स्वान कनेक्टेविटि स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

19— मंडियों के शेष रह गये नामांतरण के संबंध में :— जिन मंडियों की भूमि का नामांतरण अभी तक नहीं हुआ है, का इस वर्ष माह दिसम्बर तक शतप्रतिशत नामांतरण सुनिश्चित करा लिया जाये।

20— अन्तर्राज्यीय नाकों पर एप लागू करने बावत् :— इस संबंध में तैयार किये जा रहे एप की कार्यवाही पूर्ण कर माह मई अंत तक प्रदाय कर दिये जायेंगे। उक्त एप को शतप्रतिशत मंडियों में लागू करा दिया जाये।

21— कृषक, हम्माल, तलावटि, व्यापारी सम्मान योजना लागू किये जाने बावत् :— उक्त योजना के संबंध नें विस्तृत निर्देश पूर्व से जारी किये जा चुके हैं। निर्देशानुसार इस वर्ष सम्मेलन आयोजित कर योजना का पालन किया जाये।

उपरोक्त विषयों के आधार पर मंडियों की स्थिति अनुसार उनकी वार्षिक कार्ययोजना तैयार कराई जाये और एकजाई कार्ययोजना 25 मई, 2019 तक मुख्यालय को भेजी जाये। कार्ययोजना में मंडीवार उक्त 21 बिन्दुओं पर मंडी की परिस्थिति अनुसार लक्ष्य निर्धारण कर मुख्यालय को भेजी जावे। इन योजनाओं की उपलब्धि के आधार पर संबंधित मंडी सचिव तथा

आंचलिक अधिकारी की गोपनीय चरित्रावली का आंकलन किया जायेगा। अतः संबंधितों को यह भी निर्देशित करें कि वह अगले वर्ष गोपनीय प्रतिवेदन में स्वमूल्यांकन भरते समय उक्त वार्षिक लक्ष्यों की बिन्दुवार उपलब्धि का भी उल्लेख करें।

कार्ययोजना के लक्ष्य निर्धारण हेतु एक प्रति मंडियों को उपलब्ध कराते हुए निर्धारित समय–सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

कमांक / बोर्ड / समन्वय / विविध / 2019–20 / 1009 भोपाल,दिनांक : 9 / 05 / 2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– अपर संचालक / संयुक्त संचालक, (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

2– अधीक्षण यंत्री (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

3– कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त) ।

4– भारसाधक अधिकारी / सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, ...(समस्त) मध्यप्रदेश।

9/5/19
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.